संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्य प्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/2021/1287 भोपाल, दिनांक 27/07/2021

–:: आदेश ::–

संचालनालय के आदेश क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/से–6/स.वे./2016/2076 दिनांक 09/12/2016 द्वारा श्रीमती रीता अग्रवाल जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी को प्रथम समयमान वेतनमान रूपये 15600–39100+6600 दिनांक 08.01.2014 से स्वीकृत किया गया था।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 16.01.2009 की कण्डिका–4 में प्रावधानानुसार फरलो अवधि की अर्हतादायी सेवाऐं दिनांक 31.01.2007 से 31.01.2010 तक गणना में नहीं लिए जाने के निर्देश हैं। अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती रीता अग्रवाल जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी को स्वीकृत प्रथम समयमान वेतनमान दिनांक 08.01.2014 के स्थान पर दिनांक 08.01.2017 से प्रथम समयमान वेतनमान रूपये 15600–39100+ग्रेड–पे 6600/– स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(सपना एम लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/2021/1288 भोपाल, दिनांक 27/07/2021

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

01. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. महालेखाकार, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
03. संचालक, आई.ई.सी.ब्यूरो, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल।
04. अपर संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
05. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
06. उप संचालक (कार्यालय स्थापना), स्थानीय कार्यालय।
07. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल म.प्र की ओर तत्काल पालनार्थ ।
08. श्रीमती रीता अग्रवाल, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, द्वारा संचालक, आई.ई.सी.ब्यूरो, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल।
09. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर लेख है कि भेजे जा रहे आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

26/7/21

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–6 / स.वे. / 2021 / 331 भोपाल, दिनांक 26.02.2021

–:: आदेश ::–

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक / एफ 11 / 1 / 2008 / नियम / चार, दिनांक 24.01.2008 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 11 / 1 / 2008 / नियम / चार, दिनांक 07.11.2009 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुये समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

शासन के उक्त आदेश के परिपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी अचिकित्सकीय संवर्ग के अधिकारियों को वर्तमान वेतनमान रूपये 8000–13500 में जो अधिकारी नियुक्त हुये है उन्हें वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008 की कण्डिका 10 के अनुसार प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये 08 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है

म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 (संशोधन 04 मार्च 2016) में समूह ''ख'' गैर चिकित्सकीय संवर्ग के अन्तर्गत जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के पदों पर भर्ती के नियम सीधी भर्ती नियम 6 (1) (क) एवं पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) से पदोन्नति का प्रावधान है। उक्त पद अंशतः पदोन्नति के अन्तर्गत आते हैं।

शासन के उक्त आदेश के एवं विभाग के भर्ती नियम अनुसार निम्नलिखित जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारियों को कॉलम क्रमांक–5 में दर्शाये गये दिनांक से प्रथम उच्चतर वेतनमान (15600–39100+ग्रेड–पे 6600) स्वीकृत किया जाता है :–

स. क्र.	वरीयता क्रं. 01.04.17	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	प्रथम समयमान वेतनमान (15600–39100+ ग्रेड–पे 6600) दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	6	श्री सुरेश सिंह सिसोदिया	01.01.2009	02.01.2017
2.	8	श्री एम.के.तिवारी	01.01.2009	02.01.2017
3.	9	श्री अजय कुमार कुरील	01.01.2010	02.01.2018
4.	10	श्री आई तिग्गा	01.01.2010	02.01.2018
5.	11	श्री रमेशचन्द्र ईरवार	01.01.2010	02.01.2018
6.	12	श्री इन्द्रपाल निवारिया	01.01.2010	02.01.2018
7.	13	कुमारी भारती पटेल	01.01.2010	02.01.2018
8.	14	श्री चन्द्रशेखर पाण्डे	15.12.2010	16.12.2018
9.	15	श्रीमती मनीषा पंडित	28.10.2010	29.10.2018
10.	16	श्री दिलीप सिंह सिरोहिया	20.10.2010	21.10.2018
11.	17	श्री जय प्रकाश सिंह	15.12.2010	16.12.2018

26/2/21

स. क्र.	वरीयता क्रं. 01.04.17	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	प्रथम समयमान वेतनमान (15600-39100+ ग्रेड-पे 6600) दिये जाने का दिनांक
1.	2	3	4	5
12.	18	श्रीमती श्रुति गौर तोमर	15.11.2010	16.11.2018
13.	19	श्री प्रमोद कुमार वासनिक	30.10.2010	31.10.2018
14.	20	श्री आशीष चौरसिया	27.10.2010	28.10.2018

संचालनालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर परीक्षण किया गया है तथापि कार्यालय प्रमुख उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में सम्बंधित अधिकारी की सेवा-पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर लें।

(1) सम्बंधित अधिकारी को जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 08 वर्ष की सेवा अवधि पश्चात् प्रथम उच्चतर वेतनमान स्वीकृत की गया है। कार्यभार सेवा तिथि से 08 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो उच्चतर वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाये।

(2) यदि सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच चल रही हो तो उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

(3) उच्चतर वेतनमान का लाभ मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24.01.2008 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

(4) उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) वेतन निर्धारण की जाचं कोष एवं लेखा से कराये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

26/2/21

(सपना एम लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

पृ.क्रं. / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–6 / व.प्र.से.वेतन / 2021 / 332 भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2021

<u>प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित</u> :–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
5. संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरो, जे.पी. अस्पताल, परिसर, भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त / प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक (विज्ञप्त) / कार्या.स्थापना / गोपनीय / लीगल, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास, भोपाल, जबलपुर, हरदा, आगर, ग्वालियर, खरगौन, दमोह, इंदौर, उज्जैन, मण्डला, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं रतलाम – मध्य प्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी, देवास, भोपाल, जबलपुर, हरदा, आगर, ग्वालियर, खरगौन, दमोह, इंदौर, उज्जैन, मण्डला, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं रतलाम – मध्य प्रदेश।
11. समस्त संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में
13. आदेश नस्ती।

26/2/21

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश